न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –85 / 2023

उनवानः–
तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

———– प्रार्थी

बनाम

अचलसिंह, किशन सिंह, प्रेम सिंह, ब्रजेश, बाबूलाल पुत्रगण गोकुलसिंह, कल्पनादेवी पत्नी स्व0 विजेन्द्रसिंह, उदयभान कुशवाह पुत्र विजेन्द्र, महेन्द्रवती पत्नी स्व0 मौजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र मोजीलाल, पुष्पा, राजकुमारी पुत्रीयान मौजीलाल जातिगण काछी (कुशवाह) साकिन वाटरवर्क्स चौराहा धौलपुर।

———– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय दिनांक – 30.6.25

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1410 / 661 रकबा 0.0548 किस्म चाही प्रथम, 1413 / 656 रकबा 0.0333 किस्म बारानी अलिफ 1423 / 654 रकबा 0.0753 किस्म बारानी अलिफ, 1425 / 655 रकबा 0.1436 बारानी अलिफ, 665 रकबा 0.3414 किस्म चाही प्रथम हैक्टे. बांके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थी ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 1410 / 661 रकबा 0.0548 किस्म चाही प्रथम, 1413 / 656 रकबा 0.0333 किस्म बारानी अलिफ 1423 / 654 रकबा 0.0753 किस्म बारानी अलिफ, 1425 / 655 रकबा 0.1436 बारानी अलिफ, 665 रकबा 0.3414 किस्म चाही प्रथम हैक्टे. बांके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर 1410 / 661 रकबा 0.0548 किस्म चाही प्रथम, 1413 / 656 रकबा 0.0333 किस्म बारानी अलिफ 1423 / 654 रकबा 0.0753 किस्म बारानी अलिफ, 1425 / 655 रकबा 0.1436 बारानी अलिफ, 665 रकबा 0.3414 किस्म चाही प्रथम हैक्टे. बांके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर पर गैर कृषि कार्य (आवासीय प्लाटिंग) जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिल किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 24.01.2025 एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1410/661 रकबा 0.0548 किस्म चाही प्रथम, 1413/656 रकबा 0.0333 किस्म बारानी अलिफ 1423/654 रकबा 0.0753 किस्म बारानी अलिफ, 1425/655 रकबा 0.1436 बारानी अलिफ, 665 रकबा 0.3414 किस्म चाही प्रथम हैक्टे. बांके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर पर गैर कृषि कार्य (आवासीय प्लाटिंग) उपयोग में लिया जा रहा है। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी ग्राम धौलपुर सम्वत् 2076–79 के अनुसार खसरा नम्बर अचलसिंह, किशन सिंह, प्रेम सिंह, ब्रजेश, बाबूलाल पुत्रगण गोकुलसिंह, कल्पनादेवी पत्नी स्व0 विजेन्द्रसिंह, उदयभान कुशवाह पुत्र विजेन्द्र, महेन्द्रवती पत्नी स्व0 मौजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र मोजीलाल, पुष्पा, राजकुमारी पुत्रीयान मौजीलाल जातिगण काछी (कुशवाह) साकिन वाटरवर्क्स चौराहा धौलपुर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1410/661 रकबा 0.0548 किस्म चाही प्रथम, 1413/656 रकबा 0.0333 किस्म बारानी अलिफ 1423/654 रकबा 0.0753 किस्म बारानी अलिफ, 1425/655 रकबा 0.1436 बारानी अलिफ, 665 रकबा 0.3414 किस्म चाही प्रथम हैक्टे. बांके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार अचलसिंह, किशन सिंह, प्रेम सिंह, ब्रजेश, बाबूलाल पुत्रगण गोकुलसिंह, कल्पनादेवी पत्नी स्व0 विजेन्द्रसिंह, उदयभान कुशवाह पुत्र विजेन्द्र, महेन्द्रवती पत्नी स्व0 मौजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र मोजीलाल, पुष्पा, राजकुमारी पुत्रीयान मौजीलाल द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थीगण को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर अचलसिंह, किशन सिंह, प्रेम सिंह, ब्रजेश, बाबूलाल पुत्रगण गोकुलसिंह, कल्पनादेवी पत्नी स्व0 विजेन्द्रसिंह, उदयभान कुशवाह पुत्र विजेन्द्र, महेन्द्रवती पत्नी स्व0 मौजीलाल, ओमप्रकाश पुत्र मोजीलाल, पुष्पा, राजकुमारी पुत्रीयान मौजीलाल के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)